फॉर्म - ख

अध्यक्ष (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

बैंकिंग कंपनी का नाम :

____

पता : ____

तारीख : -------------

मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ख

हम एतद्द्वारा निम्नलिखित *नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और इससे संबंधित ब्योरे नीचे प्रस्तुत करते हैं । इस संबंध में आप यदि अन्य कोई सूचना आवश्यक समझेंगे तो उसे हम प्रस्तुत करेंगे ।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें

ब्योरे

(1) कृपया बताएं कि उपर्युक्त नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करने के लिए तथा उसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है । यदि निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी है तो संबंधित अनुच्छेद सं. बताएं :

(इस आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी, आम सभा या निदेशक मंडल, जैसी भी स्थिति हो, के उस संकल्प (उसकी तारीख के साथ) की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जानी चाहिए, जिसमें नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को प्राधिकृत किया गया हो । यदि संकल्प क्षेत्रीय भाषा में हो तो उसके अंग्रेजी अनुवाद की प्रमाणित प्रति भेजी जाए ।

(2) नियुक्त/पुर्नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति का पूरा नाम

(3) उनका वर्तमान पदनाम

(4) उनकी (क) उम्र -------------

(ख) शैक्षणिक योग्यता

(ग) बैंकिंग और/या अन्य पेशेवर अनुभव, जिसमें संस्था/संस्थाओं का नाम, किस पद पर थे तथा ऐसे अनुभव की अवधि दी जाए ।

(5) नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें :

(क) क्या नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति एक संविदा या करार के अंतर्गत होगी (यदि ऐसा है तो ड्राफ्ट संविदा या करार की एक प्रति, विद्यमान संविदा या करार, यदि कोई हो, की प्रति के साथ दी जानी चाहिए)

(ख) नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि, यदि निर्धारित की गयी हो

(ग) पारिश्रमिक के ब्योरे । ब्योरे संलग्न फार्म 'घ' में दिये जाने चाहिए ।

(6) (क) कृपया बताएं कि नियुक्त/पुनर्नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति के संबंध में बैंकिंग कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (ख) (i) और (ii) तथा धारा 10(1) (ग) के प्रावधानों का अनुपालन करती है ।

(ख) कृपया बताएं कि अध्यक्ष (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) के रूप में नियुक्त होनेवाले व्यक्ति में बैंककारी विनियन अधिनियम 1949 की धारा 10 ख(4) में उल्लिखित कोई अयोग्यता है ।

(7) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रासंगिक प्रावधान, उदाहरण के लिए धारा 197 क, 302, 309 और 314 के अनुपालन की स्थिति । कृपया प्रत्येक धारा के लिए अलग-अलग स्थिति बताएं ।

(8) कोई और तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी आवेदन के समर्थन में अथवा अन्य किसी कारण से सूचित करना चाहती हो ।

कृते ------------------------------
(बैंकिंग कंपनी का नाम)

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

टिप्पणी : यदि आवेदन पत्र अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति से संबंधित हो तथा उसकी वर्तमान नियुक्ति या पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधानों में संशोधन होता हो तो फार्म 'बी' में केवल एक आवेदन पत्र देने की आवश्यकता है तथा वर्तमान प्रावधानों और प्रस्तावित संशोधनों के ब्योरे मद 5 में दिये जाने चाहिए ।